

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

चुनाव/अत्यावश्यक

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) इन निर्देशों को
अधीनस्थ अधिकारियों को
भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़ें।

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5228

दिनांक: 31.12.2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष, 2026 में होने हैं। इसी संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा D.B.C. W.P. No. 7718/2025 शीला कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 15.04.2026 तक सम्पादित कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायता सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की नियुक्ति आयोग के आदेश संख्या एफ. 4(3)(1)/पंचा/रानिआ/14/5101 दिनांक 26.12.2025 (परिशिष्ट-1) से की जा चुकी है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में करवाया जाएगा। यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2026 में होने है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस हेतु मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दावों व आपत्तियों की अवधि के दौरान ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनके नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाए, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष हो रही है।

मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण, संदर्भ तिथि 01.01.2025 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार करवाकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियाँ तैयार की जानी हैं:-

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

ग्राम पंचायत की वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति/जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

- A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-
1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (शील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi), जो url- esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र ए-1 (परिशिष्ट-2) तैयार किया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए-1 की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति काम में ली जा सकती हैं।
 2. विधानसभा के भागों का ग्राम पंचायत के वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रपत्र ए-1 को निम्नानुसार भरा जाना है :-
 - प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
 - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
 - कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित कॉलम संख्या 2 में अंकित विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं. 3 में अंकित विधानसभा भाग संख्या के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहाँ से कहाँ तक) अंकित की जाएगी। यह उस वार्ड के लिए होगा, जिसके लिए यह प्रपत्र भरा जा रहा है।
 - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता ग्राम पंचायत के जिस वार्ड से संबंधित हैं, उस वार्ड की संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी, जिसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।
 3. विधानसभा डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभक्त करने के लिए समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं उनके स्टॉफ तथा प्रत्येक जिला कार्यालय स्तर के दो मास्टर ट्रेनर एवं एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर/प्रोग्रामर को प्रशिक्षण देने हेतु आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 02.01.2026 को आयोजित किया जा रहा है।
 4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिए एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जाएगी। आयोग के पत्रांक 5192 दिनांक 30.12.2025 के द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।
 5. नियुक्त किए गए प्रगणकों को विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को विभक्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् की जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ कार्यालय के सूचना सहायक, ग्राम सचिव एवं पंचायत समिति के संबंधित कार्मिकों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि परिसीमन से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसमें उनकी सहायता ली जा सके। प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को प्रपत्र ए-1 में सूचना तैयार करने एवं सूचना सहायकों को ई-सूची (e-suchi) पर उक्त सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया से भली-भांति अवगत कराया जाए।
 6. प्रगणकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित करने के बाद ही सूचना संकलन एवं डेटा विभाजन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पंचायत समिति मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग वार्डों में विभाजित कर लें। यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें, अन्य वार्डों के मतदाता नहीं।
 7. प्रपत्र ए-1 में सूचना संकलित/डेटा विभाजित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डों का नवीनतम सीमांकन

(परिसीमन) के आदेश की प्रति तथा वार्ड के नक्शे की आवश्यकता रहेगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाए जायेंगे।

8. परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची को संदर्भ के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, चूंकि राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से वार्डों का गठन/परिसीमन किया गया है, इसलिए संभव है कि पूर्व के वार्ड अब उसी रूप में नहीं रहें, किन्तु जिन पंचायतों में परिसीमन/पुनर्गठन नहीं हुआ है, वहां वर्तमान मतदाता सूची संबंधित वार्ड की सीमाओं एवं मतदाताओं की पहचान के लिए उपयोगी होगी। अतः इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनका उपयोग समझदारी से किया जाए।
9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन 07.01.2025 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस-किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, ये पता लगाया जाए। साथ ही मौके पर जाकर वार्ड की सीमाओं के आधार पर उस वार्ड में सम्मिलित मतदाताओं का पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जा सकेगी।
11. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पत्रांक 5221 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300-400 मतदाता होते हैं, अतः स्पष्ट है कि एक बूथ पर एक से अधिक वार्डों के मतदाता मत डाल सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा-पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक-पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा। इससे यदि किसी मतदान केन्द्र पर 1100 से कुछ अधिक मतदाता हो जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाए।
12. मतदाता सूची में मतदान बूथ का क्रमांक अंकित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 31.12.2025 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाएगी। अतः मतदान बूथ की क्रम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि यह क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी। जैसा कि उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 6 में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।
13. प्रपत्र ए-1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	14.01.2026 (बुधवार)
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	16.01.2026 (शुक्रवार)
3.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	18.01.2026 (रविवार)
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	21.01.2026 (बुधवार)
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	24.01.2026 (शनिवार)
6.	संशोधित प्रपत्र ए-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	25.01.2026 (रविवार)
7.	संशोधित प्रपत्र ए-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	27.01.2026 (मंगलवार)

14. प्रगणकों द्वारा प्रपत्र ए-1 दिनांक 14.01.2026 तक तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 16.01.2026 तक अपलोड करवाएंगे। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र-ए-1 की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु निर्देश परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।
15. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावे कि मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डों का कोई स्थान सम्मिलित नहीं है एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है। यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो सॉफ्टवेयर ई-सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसमें संशोधन कर सकते हैं।
16. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 24.01.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए-1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लें। संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर अपलोड करने, फ्रीज कर Freez करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने हेतु तिथियां पैरा 13 के अनुसार रहेंगी। ये सभी कार्य दिनांक 27.01.2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने हैं, ताकि दिनांक 29.01.2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके।
17. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए। दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।
18. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य की कम से कम क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing) करेंगे।
19. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित आयोग को दिनांक 29.01.2026 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

— :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: —

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	29.01.2026 (गुरुवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	31.01.2026 (शनिवार) को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.02.2026 (शनिवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	01.02.2026 (रविवार) एवं 02.02.2026 (सोमवार)
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	14.02.2026 (शनिवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	21.02.2026 (शनिवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	25.02.2026 (बुधवार) को

C. सामान्य निर्देश :-

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा-18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'थर्ड जेंडर' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'थर्ड जेंडर' अंकित किया जाए।
- प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र/बूथ के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही मतदान केन्द्र/बूथों का भी निर्धारण कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/5221 दिनांक 31.12.2025 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। नियम 30 के परन्तुक के अनुसार मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है। अतः मतदान बूथों के चयन के समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो। मतदान केन्द्रों/बूथों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।
- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग-अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (परिशिष्ट-5) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।
7. दिनांक 29 जनवरी, 2026 से 07 फरवरी, 2026 तक दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियाँ प्ररूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत किए जाने हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणकों को भी पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
8. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर 31.01.2026 को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के वार्डों में सभायें आयोजित कर संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा। मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 29 जनवरी, 2026 से 07 फरवरी, 2026 के तक किसी भी दिवस में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को या सीधे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में प्ररूप I, II & III उपलब्ध रहें। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देंगे।
9. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 01.02.2026 एवं 02.02.2026 निर्धारित की गई हैं। इन दिनों पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
10. नियम 12(2) के अनुसार दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्तियाँ डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्ररूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी प्रारूप में स्वीकार किये जा सकेंगे।
11. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र-3, 4, और 5 (परिशिष्ट-6, 7 एवं 8) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाएगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।
12. दावे व आपत्तियाँ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची तैयार कर प्रदर्शित करेगा।
13. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए पंचायत

कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लें।

14. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दोनों प्रविष्टि एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो वह प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर, जहां के लिए वह पात्र हैं, रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
15. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई-सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-9) में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
16. आयोग द्वारा इस बार नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावों व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं उनके स्टॉफ तथा प्रत्येक जिला कार्यालय स्तर के दो मास्टर ट्रेनर एवं एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर/प्रोग्रामर को प्रशिक्षण देने हेतु आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 02.01.2026 को आयोजित किया जा रहा है। ई-सूची ऑपरेशन मैनुअल में भी ऑनलाईन दावों व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त ऑपरेशन मैनुअल ई-सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।
17. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर उपलब्ध विकल्प Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करना है। इस विकल्प के चयन के बाद तीन विकल्प (Addition, Deletion and Updation) दर्शित होंगे। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करेगा। विकल्प के चयन के पश्चात् चयन किए गए विकल्प से संबंधित सूचनाएं भरने एवं वांछित दस्तावेजों के अपलोड करने के पश्चात् भरी गई सूचना को 'Save' करना होगा। सूचनाएं 'Save' करने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर निम्नानुसार एक संदेश दिखाई देगा :-

“संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए जल्द ही आपसे संपर्क करेगा ऑनलाईन आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब आप सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे”

इस संदेश के नीचे 'Submit' का विकल्प उपलब्ध होगा। आवेदक जैसे ही 'Submit' के विकल्प पर क्लिक करेगा, उसका आवेदन पत्र संबंधित ईआरओ के पास चला जाएगा, जो उसे Claim & Objection सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' में नजर आएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों व आपत्तियों के प्रिंट लेने हेतु ई-सूची पर उपलब्ध 'Download' सेक्शन में 'e-suchi PDF Factory' विकल्प के चयन करने के बाद दर्शित होने वाले तीन विकल्पों में से तीसरे विकल्प 'Download on line form for PRI' का चयन करने के बाद वांछित आवेदन को डाउनलोड करके उनका प्रिंट लिया जा सकता है।

उक्तानुसार आवेदनों का प्रिंट लेने के पश्चात् संबंधित प्रगणक द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित कराने के बाद प्रगणक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र ईआरओ कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रकार प्रगणक से प्राप्त दावों व आपत्तियों को ईआरओ द्वारा जांच कर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों को ऑफ लाईन प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही रिकार्ड में रखा जाएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रगणक की टिप्पणी सहित प्राप्त आवेदन पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इनका निस्तारण ई-सूची के माध्यम से ऑन लाईन ही किया जाना है। इस हेतु ई-सूची पर प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. ई-सूची पर लॉगिन करने के पश्चात् 'Claim & Objection' सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' के विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर एक Window खुलेगी।
 2. इस Window में वार्ड संख्या के चयन करने बाद वार्ड संख्या के नीचे तीन विकल्प 'Application for claim for Addition', 'Application for Objection-Delete' एवं 'Application for Detail correction Updation' दिखाई देंगे। इन विकल्पों के सामने ही Pending, Accept एवं Reject किए गए आवेदनों की संख्या भी दिखाई देगी।
 3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या-7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।
 4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड़/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
 5. इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
18. आवेदक द्वारा नाम जोड़ने/हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रदान की गई उक्त सुविधा का स्थानीय स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मतदाता उक्त सुविधा का उपयोग कर सके।
 19. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
 20. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।
 21. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली/रजिस्टर खोलकर उसमें संधारित किए जाएंगे। इस पत्रावली/रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या (स्त्री/पुरुष एवं अन्य), प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के विवरण, दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण में स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या, स्वविवेक से जोड़े/हटाए गए मतदाताओं की संख्या (स्त्री/पुरुष एवं अन्य), अंकित की जाकर मय एकजाई तालिका संकलित किये जायेंगे।
 22. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त पत्रावली/रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के स्टेटमेंट संख्या-1 (परिशिष्ट-10) में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई है। असाधारण (Unusual) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम जुड़ा/सम्मिलित नहीं रहे।
 23. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियाँ रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार-प्रसार करवायें कि, यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्हीं पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I या II या III में आवेदन पत्र/आपत्तियाँ प्रस्तुत कर किया जा सकता है। इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही

पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की जा सकती हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनायी जायेगी।

24. राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक-एक सैट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
25. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार करने हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में समाचारों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।
26. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।
27. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं-कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायत में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।
28. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारंभिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अम्बालाल मीणा, उप सचिव, SEC	7073133888	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2.	श्री कमल जांगिड़, अति. प्रशा. अधिकारी, SEC	9660885852	
3.	श्री प्रशान्त मीणा, वरिष्ठ सहायक, SEC	8947857342	
4.	श्रीमती किरण मीणा, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, SEC	7877052527	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
5.	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	8209224672	
6.	श्री हिमांशु चौधरी, प्रतिनिधि SLA	7014758543	

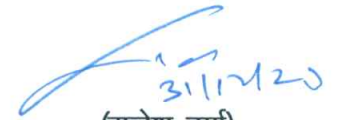
निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां – एक नजर में

क्र. सं.	कार्य/गतिविधि का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण हेतु अर्हता तिथि	01.01.2026
2.	प्रपत्र ए-1 तैयार करने की अंतिम तिथि	14.01.2026
3.	प्रपत्र ए-1 e-suchi पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि	16.01.2026
4.	प्रपत्र ए-1 को e-suchi पर Process किए जाने की अंतिम तिथि	18.01.2026
5.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	21.01.2026
6.	मतदाताओं के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि	24.01.2026
7.	प्रारूप मतदाता सूची के सही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि	29.01.2026
8.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन की तिथि	29.01.2026
9.	निर्वाचक नामावलियों का वाई/मतदान केन्द्रों पर पठन हेतु तिथि	31.01.2026
10.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.02.2026
11.	विशेष अभियान की तिथियाँ	01 एवं 02 फरवरी, 2026
12.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि	14.02.2026
13.	पूरक सूचियों की तैयारी	21.02.2026
14.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन की तिथि	25.02.2026

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18-बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 1 से 10



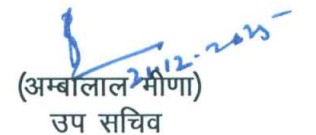
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 31.12.2025

क्रमांक: एफ 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2024/5229-5237

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
8. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,।
9. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।


(अम्बालाल मिश्रा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/570

दिनांक: 26.12.2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 119 के अनुसरण में जारी अपने पूर्व आदेशों का अधिक्रमिण करते हुए निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के समस्त जिलों की पंचायत समिति क्षेत्र के लिये उक्त धारा 119 की उप धारा - 5 के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उप धारा - 6 के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट (Designate and Nominate) करता है :-

सारणी

क्र.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर ग्रामीण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	1. तहसीलदार, पुष्कर 2. नायब तहसीलदार, पुष्कर 3. नायब तहसीलदार, अरडका
		सिलोरा(किशनगढ़)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	1. उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ 2. तहसीलदार, किशनगढ़ 3. तहसीलदार, रूपनगढ़ 4. नायब तहसीलदार, किशनगढ़ 5. नायब तहसीलदार, रूपनगढ़
		पीसांगन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन	1. तहसीलदार, पीसांगन 2. नायब तहसीलदार, पीसांगन
		श्रीनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	1. तहसीलदार, नसीराबाद 2. नायब तहसीलदार, नसीराबाद 3. नायब तहसीलदार, उपतहसील श्रीनगर
		अरांई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अरांई	1. तहसीलदार, अरांई 2. नायब तहसीलदार, अरांई
		केकड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	1. तहसीलदार, केकड़ी 2. नायब तहसीलदार, कादेडा
		सरवाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड	1. तहसीलदार, सरवाड 2. नायब तहसीलदार, सरवाड 3. तहसीलदार, टांटोटी 4. नायब तहसीलदार, टांटोटी
		सावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सावर	1. तहसीलदार, सावर 2. नायब तहसीलदार, सावर
		मिनाय	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मिनाय	1. तहसीलदार, मिनाय 2. नायब तहसीलदार, बान्दनवाडा 3. नायब तहसीलदार, देवलिया कलां 4. नायब तहसीलदार, नागोला
		बडल्या(नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर	1. तहसीलदार, अजमेर 2. नायब तहसीलदार, उपतहसील सराधना
2.	ब्यावर	जवाजा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	1. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंडगढ़ 2. तहसीलदार, टोंडगढ़

		नरबदखेडा (नवसूजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	1. तहसीलदार, ब्यावर 2. नायब तहसीलदार, ब्यावर
		मसूदा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	1. तहसीलदार, मसूदा 2. तहसीलदार, बिजयनगर
		जैतारण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	1. तहसीलदार, जैतारण 2. नायब तहसीलदार, जैतारण
		रासा (नवसूजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	1. नायब तहसीलदार, सेन्दडा 2. नायब तहसीलदार, आनन्दपुर कालू
		रायपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	1. तहसीलदार, रायपुर 2. नायब तहसीलदार, रायपुर
		बदनोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बदनोर	1. तहसीलदार, बदनोर 2. नायब तहसीलदार, बदनोर
3.	अलवर	खेडली-सोखर	उपखण्ड अधिकारी, कटूमर	1. नायब तहसीलदार, खेडली 2. नायब तहसीलदार, भनोखर
		कटूमर	उपखण्ड अधिकारी, कटूमर	1. तहसीलदार, कटूमर 2. नायब तहसीलदार, कटूमर
		गोविन्दगढ	उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ	1. तहसीलदार, गोविन्दगढ 2. नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ
		लक्ष्मणगढ	उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ	1. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ 2. नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		मालाखेडा	उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा	1. तहसीलदार, मालाखेडा 2. नायब तहसीलदार, मालाखेडा
		राजगढ	उपखण्ड अधिकारी, राजगढ	1. तहसीलदार, राजगढ 2. नायब तहसीलदार, राजगढ
		रैणी	उपखण्ड अधिकारी, रैणी	1. तहसीलदार, रैणी 2. नायब तहसीलदार, रैणी
		रामगढ	उपखण्ड अधिकारी, रामगढ	1. तहसीलदार, रामगढ 2. नायब तहसीलदार, रामगढ
		गुबारिकपुर	सहायक कलक्टर, रामगढ	1. तहसीलदार, नौगाँवा 2. नायब तहसीलदार, नौगाँवा
		उमरैण	उपखण्ड अधिकारी, अलवर	1. तहसीलदार, अलवर 2. नायब तहसीलदार, करवा डेहरा
		थानागाजी	उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी	1. तहसीलदार, थानागाजी 2. नायब तहसीलदार, थानागाजी
		मुण्डावर	उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर	1. नायब तहसीलदार, मुण्डावर
4.	खैरथल- तिजारा	किशनगढबास	उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास	1. तहसीलदार, किशनगढबास
		तिजारा	उपखण्ड अधिकारी, तिजारा	1. तहसीलदार, तिजारा
		कोटकासिम	उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम	1. तहसीलदार, कोटकासिम
		टपूकडा	उपखण्ड अधिकारी, टपूकडा	1. तहसीलदार, टपूकडा
		ततारपुर	तहसीलदार, मुण्डावर	1. तहसीलदार, खैरथल
5.	बोंसवाडा	बांसवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाडा	1. तहसीलदार, बांसवाडा 2. नायब तहसीलदार, बांसवाडा
		गढी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढी	1. तहसीलदार, गढी 2. नायब तहसीलदार, गढी
		घाटोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घाटोल	1. तहसीलदार, घाटोल 2. नायब तहसीलदार, घाटोल
		कुशलगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ	1. तहसीलदार, कुशलगढ 2. नायब तहसीलदार, कुशलगढ
		सज्जनगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सज्जनगढ	1. तहसीलदार, सज्जनगढ 2. नायब तहसीलदार, सज्जनगढ
		बागीदौरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बागीदौरा	1. तहसीलदार, बागीदौरा 2. नायब तहसीलदार, बागीदौरा
		आनन्दपुरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आनन्दपुरी	1. तहसीलदार, आनन्दपुरी 2. नायब तहसीलदार, आनन्दपुरी
		छोटी सरवन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सरवन	1. तहसीलदार, छोटी सरवन 2. नायब तहसीलदार, छोटी सरवन

[illegible]

		आडेल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नोखड़ा
		बाड़मेर ग्रामीण	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ग्रामीण
		बाटाडू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाटाडू
		फागलिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेडवा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सेडवा
		विशाला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर 2. नायब तहसीलदार, विशाला
		भीयाड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शिव 2. नायब तहसीलदार, भीयाड
		लीलसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौहटन 2. नायब तहसीलदार, लीलसर
		झूगेरी का तला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर ग्रामीण 2. नायब तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण
		मांगता	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना 2. नायब तहसीलदार, धोरीमन्ना
8.	बालोतरा	बालोतरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. तहसीलदार, पचपदरा 2. उप तहसीलदार, जसोल
		कल्याणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. तहसीलदार, कल्याणपुर 2. नायब तहसीलदार, कल्याणपुर
		पाटोदी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	1. तहसीलदार, पाटोदी 2. नायब तहसीलदार, पाटोदी
		सिवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. तहसीलदार, सिवाना 2. नायब तहसीलदार, सिवाना
		समदडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. तहसीलदार, समदडी 2. नायब तहसीलदार, समदडी
		पादरू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	1. उप तहसीलदार, पादरू
		सिणधरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी	1. तहसीलदार, सिणधरी 2. नायब तहसीलदार, सिणधरी
		पायलाकला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी	1. तहसीलदार, सिणधरी 2. नायब तहसीलदार, सिणधरी
		बायतु	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु	1. तहसीलदार, बायतु 2. नायब तहसीलदार, बायतु
		गिड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु	1. तहसीलदार, गिड़ा 2. उप तहसीलदार, हीरा की द्वाणी
9.	भरतपुर	सेवर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	1. तहसीलदार, भरतपुर 2. नायब तहसीलदार द्वितीय, भरतपुर
		नदबई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	1. तहसीलदार, नदबई 2. नायब तहसीलदार, लखनपुर
		वैर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	1. तहसीलदार, वैर 2. नायब तहसीलदार, हलैना
		बयाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	1. तहसीलदार, बयाना 2. नायब तहसीलदार, खरैरी
		रूपवास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपवास	1. तहसीलदार, रूपवास 2. तहसीलदार, रुदावल
		भुसावर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	1. तहसीलदार, भुसावर 2. नायब तहसीलदार, भुसावर

		उच्चैन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उच्चैन	1. तहसीलदार, उच्चैन 2. नायब तहसीलदार, उच्चैन
10.	डीग	डीग	उपखण्ड अधिकारी, डीग	1. तहसीलदार, डीग 2. तहसीलदार, जनुथर
		कुम्हेर	उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर	1. तहसीलदार, कुम्हेर 2. तहसीलदार, रारह
		नगर	उपखण्ड अधिकारी, नगर	1. उपखण्ड अधिकारी, सीकरी 2. तहसीलदार, नगर
		कामां	उपखण्ड अधिकारी, कामां	1. तहसीलदार, कामां 2. तहसीलदार, जुरहश
		पहाडी	उपखण्ड अधिकारी, पहाडी	1. तहसीलदार, पहाडी
11.	भीलवाडा	आसीन्द	उपखण्ड अधिकारी आसीन्द	1. तहसीलदार आसीन्द
		हुरडा	उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा	1. तहसीलदार हुरडा
		माण्डल	उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	1. तहसीलदार माण्डल
		करेडा	उपखण्ड अधिकारी करेडा	1. तहसीलदार करेडा
		सहाडा	उपखण्ड अधिकारी गंगापुर	1. तहसीलदार सहाडा मृ. गंगापुर
		सुवाणा	उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा	1. तहसीलदार भीलवाडा 2. तहसीलदार हमीरगढ
		शाहपुरा	उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा	1. तहसीलदार शाहपुरा
		फूलियाकला	उपखण्ड अधिकारी फूलियाकला	1. तहसीलदार फूलियाकला
		जहाजपुर	उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर	1. तहसीलदार, जहाजपुर
		कोटडी	उपखण्ड अधिकारी, कोटडी	1. तहसीलदार, कोटडी
		खजूरी	सहायक कलक्टर, जहाजपुर	1. नायब तहसीलदार खजूरी
		माण्डलगढ	उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	1. तहसीलदार माण्डलगढ
		बिजौलिया	उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया	1. तहसीलदार, बिजौलिया
		बीकानेर	उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	1. तहसीलदार, बीकानेर
12.	बीकानेर	खाजूवाला	उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला	1. तहसीलदार, खाजूवाला
		कोलायत	उपखण्ड अधिकारी, कोलायत	1. तहसीलदार, कोलायत
		लूणकरनसर	उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर	1. तहसीलदार, लूणकरनसर
		नोखा	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	1. तहसीलदार, नोखा
		पांचू	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	1. उप तहसीलदार, पांचू
		बज्जू खालसा	उपखण्ड अधिकारी, बज्जू	1. तहसीलदार, बज्जू
		पूगल	उपखण्ड अधिकारी, पूगल	1. तहसीलदार, पूगल
		डुंगरगढ	उपखण्ड अधिकारी, डुंगरगढ	1. तहसीलदार, डुंगरगढ
		रिडी	उपखण्ड अधिकारी, डुंगरगढ	1. नायब तहसीलदार, डुंगरगढ
		जसरासर	उपखण्ड अधिकारी, नोखा	1. तहसीलदार, जसरासर
		रुणिया	उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर	1. नायब तहसीलदार, बीकानेर
		हदा	उपखण्ड अधिकारी, कोलायत	1. तहसीलदार, हदा
		छत्तरगढ	उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ	1. तहसीलदार, छत्तरगढ
		बून्दी	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	1. तहसीलदार, बून्दी 2. नायब तहसीलदार, बून्दी
		खटकड	उपखण्ड अधिकारी, बून्दी	1. तहसीलदार, रायथल 2. नायब तहसीलदार, रायथल
13.	बून्दी	केशोरायपाटन	उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	1. तहसीलदार, केशोरायपाटन 2. नायब तहसीलदार, केशोरायपाटन 3. नायब तहसीलदार, काप्रेन
		नैनवां	उपखण्ड अधिकारी, नैनवां	1. तहसीलदार, नैनवां 2. नायब तहसीलदार, नैनवां 3. नायब तहसीलदार, देई 4. नायब तहसीलदार, करवर
		हिण्डोली	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	1. तहसीलदार, हिण्डोली 2. नायब तहसीलदार, हिण्डोली
		दबलाना	उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली	1. उप पजीयक, बून्दी 2. नायब तहसीलदार, दबलाना
		लाखेरी	उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी	1. तहसीलदार, इन्द्रगढ 2. नायब तहसीलदार, लाखेरी

		तालेडा	उपखण्ड अधिकारी, तालेडा	3. नायब तहसीलदार, इन्द्रगढ 1. तहसीलदार, तालेडा 2. नायब तहसीलदार, तालेडा 3. नायब तहसीलदार, डावी
14.	चित्तौड़गढ	चित्तौड़गढ	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ	1. तहसीलदार, चित्तौड़गढ 2. तहसीलदार, बस्सी
		गंगरार	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगरार	1. तहसीलदार, गंगरार 2. उप तहसीलदार, साडास
		कपासन	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	1. तहसीलदार, कपासन 2. नायब तहसीलदार, कपासन
		बेगू	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगू	1. तहसीलदार, बेगू 2. उप तहसीलदार, पारसोली 3. नायब तहसीलदार, बेगू
		मैंसरोड़गढ	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	1. तहसीलदार, रावतभाटा 2. उप तहसीलदार, जावदा
		निम्बाहेडा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेडा	1. तहसीलदार, निम्बाहेडा 2. उप तहसीलदार, कनेरा 3. नायब तहसीलदार, निम्बाहेडा
		बडीसादडी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बडीसादडी	1. तहसीलदार, बडीसादडी 2. उप तहसीलदार, निकुम्भ
		राशमी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राशमी	1. तहसीलदार, राशमी
		भदेसर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भदेसर	1. तहसीलदार, भदेसर 2. उप तहसीलदार, भादरोडा
		डूंगला	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	1. तहसीलदार, डूंगला 2. उप तहसीलदार, मंगलवाड
		भूपालसागर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भूपालसागर	1. तहसीलदार, भूपालसागर 2. नायब तहसीलदार, भूपालसागर
15.	चूरू	राजगढ (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ (चूरू)	1. तहसीलदार, राजगढ (चूरू) 2. नायब तहसीलदार, राजगढ (चूरू)
		चादगोठी (नवगठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ (चूरू)	1. तहसीलदार, राजगढ (चूरू) 2. नायब तहसीलदार, हमीरवास
		सिद्धमुख	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ (चूरू)	1. तहसीलदार, सिद्धमुख 2. नायब तहसीलदार, सिद्धमुख
		तारानगर (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	1. तहसीलदार, तारानगर 2. नायब तहसीलदार, साहवा
		भालेरी (मु. तारानगर) नवगठित	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	1. तहसीलदार, तारानगर 2. नायब तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	1. तहसीलदार, सरदारशहर 2. नायब तहसीलदार, सरदारशहर
		सरदारशहर पूर्व (नवगठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	1. तहसीलदार, सरदारशहर 2. नायब तहसीलदार, सरदारशहर
		भानीपुरा (नवगठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	1. तहसीलदार, भानीपुरा 2. नायब तहसीलदार, भानीपुरा
		चूरू (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू	1. तहसीलदार, चूरू 2. नायब तहसीलदार, चूरू
		चूरू उत्तर (मु. चूरू) (नवगठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चूरू	1. तहसीलदार, चूरू 2. नायब तहसीलदार, चूरू
		रतनगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ	1. तहसीलदार, रतनगढ 2. तहसीलदार, राजलदेसर
		सुजानगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ	1. तहसीलदार, सुजानगढ 2. नायब तहसीलदार, सुजानगढ
		बीदासर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	1. तहसीलदार, बीदासर 2. नायब तहसीलदार, बीदासर
16.	दौसा	दौसा	उपखण्ड अधिकारी, दौसा	1. तहसीलदार दौसा 2. तहसीलदार सौधल 3. तहसीलदार कुण्डल 4. तहसीलदार भाण्डारेज

				5. नायब तहसीलदार दौसा 6. नायब तहसीलदार सैथल 7. नायब तहसीलदार कूण्डल
		बांदीकुई	उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई	1. तहसीलदार बांदीकुई 2. उपतहसीलदार, आमानेरी
		महवा	उपखण्ड अधिकारी, महवा	1. नायब तहसीलदार, महवा 2. नायब तहसीलदार, बालाहेडी
		मनोहरपुर खेडला	तहसीलदार, महवा	1. नायब तहसीलदार, खेडलाबुजुर्ग
		लालसोट	उपखण्ड अधिकारी, लालसोट	1. तहसीलदार, लालसोट
		शिवसिंहपुरा	सहायक कलक्टर, लालसोट	1. तहसीलदार, निझरना
		सिकराय	उपखण्ड अधिकारी, सिकराय	1. तहसीलदार, बहरावण्डा 2. नायब तहसीलदार, सिकराय
		सिकन्दरा	तहसीलदार, सिकराय	1. उप तहसीलदार, सिकन्दरा 2. उप तहसीलदार, गीजगढ़
		नांगल राजावतान	उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान	1. तहसीलदार, नांगल राजावतान 2. तहसीलदार, पापड़दा 3. नायब तहसीलदार, भाण्डारेज 4. नायब तहसीलदार, बहरावण्डा
		रामगढ़ पचवारा	उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ पचवारा	1. तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा 2. तहसीलदार राहुवास
		लवाण	उपखण्ड अधिकारी, लवाण	1. तहसीलदार, लवाण
		मण्डावर	उपखण्ड अधिकारी, मण्डावर	1. तहसीलदार, मण्डावर 2. नायब तहसीलदार, मण्डावर
		बैजूपाडा	सहायक कलक्टर, बांदीकुई	1. तहसीलदार, बैजूपाडा 2. नायब तहसीलदार बडियालकलां
		बसवा	उपखण्ड अधिकारी, बसवा	1. तहसीलदार, बसवा 2. उप तहसीलदार गुडाकटला
17.	धौलपुर	धौलपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनियां
		बाडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाडी	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाडी 2. नायब तहसीलदार, कंचनपुर
		राजाखेडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेडा 2. नायब तहसीलदार मरैना
		बसेडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बसेडी	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बसेडी 2. नायब तहसीलदार, जारगा
		सरमथुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरमथुरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा
		सैपऊ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सैपऊ	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सैपऊ 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बसईनबाव
18.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
		पाल देवल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पाल देवल
		बिछीवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिछीवाडा
		गामडी अहाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गामडी अहाडा
		दोवडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दोवडा
		आसपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक

			मजिस्ट्रेट, आसपुर	मजिस्ट्रेट, आसपुर
		साबला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, साबला	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, साबला
		सागवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सागवाडा
		पाडवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	1. नायब तहसीलदार, पाडवा
		गलियाकोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गलियाकोट	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गलियाकोट
		चिखली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिखली	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चिखली
		भण्डारी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा	1. नायब तहसीलदार, भण्डारी
		सीमलवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा
		झौथरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झौथरीपाल
19	हनुमानगढ़	संगरिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	1. तहसीलदार (राजस्व), संगरिया 2. नायब तहसीलदार, संगरिया 3. नायब तहसीलदार, ढाबां
		टिब्बी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टिब्बी	1. तहसीलदार, टिब्बी 2. नायब तहसीलदार, टिब्बी 3. नायब तहसीलदार, तलवाडा
		हनुमानगढ़ जंक्शन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	1. नायब तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ 2. नायब तहसीलदार, डबलीराठान
		हनुमानगढ़ टाउन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	1. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़ 2. नायब तहसीलदार नौरंगदेसर
		पीलीबंगा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	1. तहसीलदार, पीलीबंगा 2. नायब तहसीलदार, पीलीबंगा 3. नायब तहसीलदार, गोलूवाला
		रावतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	1. तहसीलदार, रावतसर 2. नायब तहसीलदार, रावतसर
		पल्लू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	1. तहसीलदार, पल्लू 2. नायब तहसीलदार, पल्लू
		नोहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	1. तहसीलदार नोहर 2. नायब तहसीलदार, खुईया 3. नायब तहसीलदार, रामगढ़
		भादरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भादरा 2. नायब तहसीलदार, छानीबडी
		साजपुरा & बीएचडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भादरा 2. नायब तहसीलदार, झगराना
20.	जयपुर	शाहपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	1. तहसीलदार, शाहपुरा
		गोविन्दगढ़	सहायक कलक्टर, चौमू	1. नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़
		सांभरलेक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभरलेक	1. तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर लेक)
		किशनगढ़-रेनवाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़-रेनवाल	1. तहसीलदार, किशनगढ़-रेनवाल
		जोबनेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोबनेर	1. तहसीलदार, जोबनेर
		जमवारागढ़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारागढ़	1. तहसीलदार, जमवारागढ़

		आंधी	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़	1. तहसीलदार, आंधी
		बरसी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बरसी	1. तहसीलदार, बरसी
		तूंगा	सहायक कलक्टर, बरसी	1. तहसीलदार, तूंगा
		सांगानेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	1. तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	1. तहसीलदार, चाकसू
		कोटखावदा	सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, कलक्टर, जयपुर	1. तहसीलदार, कोटखावदा
		माधोराजपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, माधोराजपुरा	1. तहसीलदार, माधोराजपुरा
		झोटवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रथम	1. तहसीलदार, जयपुर
		आमेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	1. तहसीलदार, आमेर
		जालसू	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं	1. तहसीलदार, जालसू
		रामपुरा डाबडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामपुरा डाबडी	1. तहसीलदार, रामपुरा डाबडी
		चौमूं	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं	1. तहसीलदार, चौमूं
		दूदू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	1. तहसीलदार, दूदू
		मौजमाबाद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मौजमाबाद	1. तहसीलदार, मौजमाबाद
		फागी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फागी	1. तहसीलदार, फागी
21.	कोटपूतली-बहरोड़	कोटपूतली	उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली	1. तहसीलदार, कोटपूतली
		पावटा	उपखण्ड अधिकारी, पावटा	1. तहसीलदार, पावटा
		विराटनगर	उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर	1. तहसीलदार, विराटनगर
		मैड कुण्डला	उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर	1. तहसीलदार, विराटनगर
		बहरोड़	उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़	1. तहसीलदार, बहरोड़
		नीमराना	उपखण्ड अधिकारी, नीमराना	1. तहसीलदार, नीमराना 2. तहसीलदार, मांढण
		बानसूर	उपखण्ड अधिकारी, बानसूर	1. तहसीलदार, बानसूर
22.	जैसलमेर	नारायणपुर	उपखण्ड अधिकारी, नारायणपुर	1. तहसीलदार, नारायणपुर
		जैसलमेर	उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर	1. तहसीलदार, जैसलमेर 2. नायब तहसीलदार, चांघन
		मोहनगढ़	सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, मोहनगढ़ बी	1. उपनिवेशन तहसीलदार, मोहनगढ़ 2 2. नायब तहसीलदार, मोहनगढ़
		फतेहगढ़	उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़	1. तहसीलदार, फतेहगढ़ 2. नायब तहसीलदार, झिनझिनयाली
		खुहडी	उपायुक्त, उपनिवेशन, जैसलमेर	1. तहसीलदार, रामगढ़ 2. तहसीलदार, सम
		सांकड़ा मु. सांकड़ा	सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, मोहनगढ़ ए	1. उपनिवेशन, तहसीलदार मोहनगढ़ 1 2. नायब तहसीलदार, सांकड़ा
		भणियाणा	उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा	1. तहसीलदार, भणियाणा 2. तहसीलदार, फलसूण्ड
		नाचना	उपायुक्त, उपनिवेशन, नाचना	1. उपनिवेशन तहसीलदार, नाचना 1 2. नायब तहसीलदार, नाचना
		रामदेवरा मु. पोकरण	उपखण्ड अधिकारी, पोकरण	1. तहसीलदार, पोकरण 2. उपनिवेशन तहसीलदार नाचना 2

23.	जालोर	सायला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सायला	1. उप तहसीलदार, जीवाणा
		उम्मेदाबाद	तहसीलदार, सायला	1. नायब तहसीलदार, सायला
		भाद्राजून	तहसीलदार, भाद्राजून	1. नायब तहसीलदार, भाद्राजून
		आहोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर	1. तहसीलदार, आहोर
		चितलवाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चितलवाना	1. नायब तहसीलदार, चितलवाना
		झाब	तहसीलदार, चितलवाना	1. उप तहसीलदार, खारसरवी
		सरवाना	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, सांचौर	1. नायब तहसीलदार, सांचौर
		जालोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर	1. तहसीलदार, जालोर
		भीनमाल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	1. तहसीलदार, भीनमाल
		जसवंतपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जसवंतपुरा	1. तहसीलदार, जसवंतपुरा
		सांचौर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांचौर	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, सांचौर
		सरनाऊ	तहसीलदार, सांचौर	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, चितलवाना
		रानीवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानीवाडा	1. तहसीलदार, रानीवाडा
		बागोडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बागोडा	1. तहसीलदार, बागोडा
24.	झालावाड़	डग	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगधार	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगधार 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डग
		झालरापाटन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रायपुर
		खानपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खानपुर 2. नायब तहसीलदार, खानपुर
		मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना 2. नायब तहसीलदार, मनोहरथाना
		भवानीमण्डी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पचपहाड 2. नायब तहसीलदार, पचपहाड
		पिडावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिडावा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिडावा 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सुनेल
		अकलेरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अकलेरा 2. नायब तहसीलदार, अकलेरा
25.	झुंझुनू	बकानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, असनावर	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, असनावर 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बकानी
		उदयपुरवाटी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	1. तहसीलदार, उदयपुरवाटी
		टोडी गुडा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	1. तहसीलदार, गुडा गोडजी
		सूरजगढ़	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	1. तहसीलदार, सूरजगढ़
		सिंधाना	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	1. तहसीलदार, बुहाना

26.	जोधपुर	पिलानी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	1. तहसीलदार, पिलानी
		नवलगढ़	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	1. तहसीलदार, नवलगढ़
		गोटडा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	1. तहसीलदार, नवलगढ़
		खेतडी	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेतडी	1. तहसीलदार, खेतडी
		बबाई	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेतडी	1. तहसीलदार, खेतडी
		बुहाना	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	1. तहसीलदार, बुहाना
		चिडावा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चिडावा	1. तहसीलदार, चिडावा
		मण्डावा	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डावा	1. तहसीलदार, मण्डावा
		अलसीसर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	1. तहसीलदार, मलसीसर
		झुझुनू	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झुझुनू	1. तहसीलदार, झुझुनू
		मण्डोर	उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर	1. तहसीलदार, जोधपुर
		केरु	सहायक कलक्टर, फारट ट्रैक, जोधपुर	1. नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय, जोधपुर
		धवा	उपखण्ड अधिकारी, लूणी	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, लूणी
		लूणी	उपखण्ड अधिकारी, लूणी	1. तहसीलदार, लूणी
		झंवर	उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण)	1. तहसीलदार, झंवर
		बिलाडा	उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा	1. तहसीलदार, बिलाडा
		कापरडा	उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, बिलाडा
		पीपाड़-शहर	उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़-शहर	1. तहसीलदार, पीपाड़-शहर
		सालवा खुर्द	उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़-शहर	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, पीपाड़-शहर
27.	फलोदी	भोपालगढ़	उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़	1. तहसीलदार, भोपालगढ़
		आसोप	उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, भोपालगढ़
		बावडी	उपखण्ड अधिकारी, बावडी	1. तहसीलदार, बावडी
		हथूणडी	उपखण्ड अधिकारी, बावडी	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, बावडी
		तिवरी	उपखण्ड अधिकारी, ओसियां	1. तहसीलदार, तिवरी
		उम्मेदनगर	उपखण्ड अधिकारी, बावडी	1. नायब तहसीलदार, तहसील कार्यालय, ओसियां
		ओसियां	उपखण्ड अधिकारी, ओसियां	1. तहसीलदार, ओसियां
		सामराउ	उपखण्ड अधिकारी, ओसियां	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, ओसियां
		सेखाला	उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़	1. तहसीलदार, सेखाला
		शेरगढ़	उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़	1. तहसीलदार, शेरगढ़
		बालेसर	उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	1. तहसीलदार, बालेसर
		चामू	उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	1. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, बालेसर
		फलोदी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट फलोदी	1. तहसीलदार फलोदी
		बाप	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाप	1. तहसीलदार बाप
		घटियाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाप	1. तहसीलदार घटियाली
		लोहावट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लोहावट	1. तहसीलदार लोहावट
		आउ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आउ	1. तहसीलदार आउ
		बापिणी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बापिणी	1. तहसीलदार, बापिणी
		देचू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देचू	1. तहसीलदार देचू

[illegible]

		मेड़ता रोड (नवगठित)	उप-पंजीयक, मेड़ता	1. नायब तहसीलदार, मेड़ता सिटी
		श्रीबालाजी (नवगठित)	सहायक कलक्टर(एसीएम), मुख्यालय नागौर	1. नायब तहसीलदार, श्रीबालाजी
		पांचौड़ी (नवगठित)	उप-पंजीयक, नागौर	1. नायब तहसीलदार, पांचौड़ी
		डेह (नवगठित)	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डेह	1. नायब तहसीलदार, डेह
31.	डीडवाना-कुचामन	डीडवाना	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), डीडवाना-कुचामन	1. तहसीलदार, डीडवाना 2. तहसीलदार, छोटी खाटू
		मौलासर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना	1. तहसीलदार, मौलासर 2. नायब तहसीलदार, दीनदारपुरा
		मकराना	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	1. तहसीलदार, मकराना 2. नायब तहसीलदार, मकराना
		ईटावा बामणिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना	1. नायब तहसीलदार, गच्छीपुरा 2. नायब तहसीलदार, बुडसु
		परबतसर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	1. तहसीलदार, परबतसर 2. नायब तहसीलदार, मंकरी
		पीलवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	1. नायब तहसीलदार, पीलवा 2. नायब तहसीलदार, बडू
		लाडनू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू	1. तहसीलदार, लाडनू 2. नायब तहसीलदार, निम्बी जोधा
		नावा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नावा	1. तहसीलदार, नावा 2. नायब तहसीलदार, मारोठ
		कुचामन सिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	1. तहसीलदार, कुचामन सिटी 2. नायब तहसीलदार, चितावा
32.	पाली	सोजत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	1. तहसीलदार, सोजत
		बगडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	1. नायब तहसीलदार, बगडी
		पाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	1. तहसीलदार, पाली
		रोहट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रोहट	1. तहसीलदार, रोहट
		मारवाड़ जंक्शन	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन	1. तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन
		रानी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	1. तहसीलदार, रानी
		देसूरी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी	1. तहसीलदार, देसूरी
		बाली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	1. तहसीलदार, बाली
		सुमेरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	1. तहसीलदार, सुमेरपुर
33.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (पुनर्गठन)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	1. नायब तहसीलदार, देवगढ़
		अरनोद (पुनर्गठन)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अरनोद	1. तहसीलदार, अरनोद 2. नायब तहसीलदार, अरनोद
		सुहागपुरा (पुनर्गठन)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुहागपुरा	1. तहसीलदार, सुहागपुरा 2. नायब तहसीलदार, सुहागपुरा
		धमोतर (पुनर्गठन)	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	1. नायब तहसीलदार, धमोतर
		पीपलखुंट (पुनर्गठन)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलखुंट	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पीपलखुंट 2. नायब तहसीलदार, पीपलखुंट
		दलोठ	तहसीलदार एवं कार्यपालक	1. नायब तहसीलदार, दलोठ

			मजिस्ट्रेट, दलोह	
		धरियावद	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धरियावद 2. नायब तहसीलदार, मुंगाणा
		छोटी सादडी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादडी	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, छोटी सादडी 2. नायब तहसीलदार, छोटी सादडी
34.	राजसमन्द	आमेत	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेत	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेत 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सरदारगढ
		भीम	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीम	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, भीम
		कुम्भलगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गढबोर
		देवगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवगढ	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवगढ
		खमनोर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खमनोर
		देलवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देलवाडा
		राजसमन्द	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कुंवारिया
		रेलमगरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रेलमगरा
35.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	1. तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		चौथ का बरवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाडा	1. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा
		खण्डार	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डार	1. तहसीलदार, खण्डार
		मलारनाडूंगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलारनाडूंगर	1. तहसीलदार, मलारनाडूंगर
		बौली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बौली	1. तहसीलदार, बौली
		बामनवास	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बामनवास	1. तहसीलदार, बामनवास
		गंगापुरसिटी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुरसिटी	1. तहसीलदार, गंगापुरसिटी
		वजीरपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वजीरपुर	1. तहसीलदार, वजीरपुर
36.	सीकर	रामगढ शेखावटी (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ शेखावटी	1. तहसीलदार, रामगढ शेखावटी
		फतेहपुर (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	1. तहसीलदार, फतेहपुर 2. नायब तहसीलदार फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	1. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ 2. नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ
		ब्लारा (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ	1. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ 2. नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ

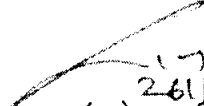
		नेछवा (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नेछवा	1. तहसीलदार, नेछवा 2. नायब तहसीलदार नेछवा
		धोद (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	1. तहसीलदार, धोद 2. नायब तहसीलदार, लोसल
		धोद ग्रामीण मु सीकर(नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	1. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण 2. नायब तहसीलदार, सीकर ग्रामीण
		पिपराती	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर	1. तहसीलदार, सीकर 2. उप पंजीयक, सीकर
		दातारामगढ (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दातारामगढ	1. तहसीलदार, दातारामगढ 2. नायब तहसीलदार, दातारामगढ
		पलसाना (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दातारामगढ	1. नायब तहसीलदार, पलसाना
		खाचरियावास (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दातारामगढ	1. तहसीलदार, दातारामगढ 2. उप पंजीयक, दातारामगढ
		खण्डेला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डेला	1. तहसीलदार, खण्डेला 2. तहसीलदार, रींगस
		नीमकाथाना (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	1. तहसीलदार, नीमकाथाना 2. नायब तहसीलदार, नीमकाथाना
		पाटन (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	1. तहसीलदार, पाटन 2. नायब तहसीलदार, पाटन
		श्रीमाघोपुर (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाघोपुर	1. तहसीलदार, श्रीमाघोपुर 2. नायब तहसीलदार, श्रीमाघोपुर
		अजीतगढ (पुनर्गठित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाघोपुर	1. तहसीलदार, श्रीमाघोपुर 2. नायब तहसीलदार, अजीतगढ
37.	सिरोही	सिरोही	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, कालन्दी
		शिवगंज	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, कैलाशनगर
		पिण्डवाडा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	1. तहसीलदार, पिण्डवाडा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाडा
		भांवरी	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	1. तहसीलदार, देलदर 2. नायब तहसीलदार, भांवरी
		आबूरोड	उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
		रेवदर	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	1. तहसीलदार, रेवदर 2. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, रेवदर
		मण्डार	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	1. नायब तहसीलदार, मण्डार 2. नायब तहसीलदार, रेवदर
38.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	1. तहसीलदार, सादुलशहर 2. नायब तहसीलदार, उप तहसील, लालगढ जाटान
		श्रीगंगानगर उत्तर मुख्यालय श्रीगंगानगर (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगानगर	1. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर
		श्रीगंगानगर दक्षिण मुख्यालय श्रीगंगानगर (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगानगर	1. तहसीलदार, गंगानगर 2. उपपंजीयक, गंगानगर
		करणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	1. तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	1. तहसीलदार, पदमपुर 2. तहसीलदार, गजसिंहपुर
		सूरतगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ	1. तहसीलदार, सूरतगढ 2. उप पंजीयक, सूरतगढ
		राजियासर (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ	1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ

				2. नायब तहसीलदार, उप तहसील, राजियासर
		अनूपगढ	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ	1. तहसीलदार अनूपगढ 2. उप पंजीयक, अनूपगढ
		घडसाना	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घडसाना	1. तहसीलदार, घडसाना 2. तहसीलदार, रावला
		श्रीविजयनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर	1. तहसीलदार, श्रीविजयनगर
		रायसिंहनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	1. तहसीलदार, रायसिंहनगर 2. नायब तहसीलदार, उप तहसील, मुकलावा
39.	टोंक	मालपुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मालपुरा
		पचेवर (नवसृजित)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	1. नायब तहसीलदार, मालपुरा 2. नायब तहसीलदार, डिग्गी
		निवाई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, निवाई 2. नायब तहसीलदार, दत्तवास
		टोंक	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक
		देवली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, देवली 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूनी 3. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नगरफोर्ट
		उनियारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनियारा 2. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अलीगढ
		टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह 2. नायब तहसीलदार, बरवास
40.	उदयपुर	पीपलू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू	1. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पीपलू
		गिर्वा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. तहसीलदार, गिर्वा 2. नायब तहसीलदार, गिर्वा 3. तहसीलदार, देवरथान विभाग, उदयपुर 4. नायब तहसीलदार, जिला कलक्टर कार्यालय
		कुराबड	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. तहसीलदार, कुराबड 2. नायब तहसीलदार, कुराबड 3. नायब तहसीलदार, सहा. कलक्टर, गिर्वा
		नाई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	1. तहसीलदार, बारापाल 2. तहसीलदार, पटवार ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर 3. नायब तहसीलदार, बारापाल 4. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, गिर्वा
		बडगांव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बडगांव	1. तहसीलदार, बडगांव 2. तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण 3. नायब तहसीलदार, बडगांव 4. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, बडगांव

गोगुन्दा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	1. तहसीलदार, गोगुन्दा 2. नायब तहसीलदार, गोगुन्दा 3. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, गोगुन्दा
सायरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	1. तहसीलदार, सायरा 2. नायब तहसीलदार, सायरा
झाडोल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	1. तहसीलदार, झाडोल 2. नायब तहसीलदार, झाडोल 3. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, झाडोल
फलासिया	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	1. तहसीलदार, फलासिया 2. नायब तहसीलदार, फलासिया
औगणा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	1. उप तहसीलदार, औगणा
खेरवाडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेरवाडा	1. तहसीलदार, खेरवाडा 2. नायब तहसीलदार, खेरवाडा 3. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, खेरवाडा 4. नायब तहसीलदार, बाबलवाडा
नयागांव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नयागांव	1. तहसीलदार, नयागांव 2. नायब तहसीलदार, नयागांव 3. नायब तहसीलदार, कनबई 4. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, नयागांव
ऋषभदेव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ऋषभदेव	1. तहसीलदार, ऋषभदेव 2. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, ऋषभदेव
कल्याणपुर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ऋषभदेव	1. उप तहसीलदार, कल्याणपुर
वल्लभनगर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	1. तहसीलदार, वल्लभनगर 2. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, वल्लभनगर 3. नायब तहसीलदार, सहा. कलक्टर, वल्लभनगर
भीण्डर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भीण्डर	1. तहसीलदार, भीण्डर 2. तहसीलदार, कानोड 3. नायब तहसीलदार, भीण्डर 4. नायब तहसीलदार, खेरोदा 5. नायब तहसीलदार, कानोड 6. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, भीण्डर
मावली	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	1. तहसीलदार, मावली 2. नायब तहसीलदार, मावली 3. उप तहसीलदार, सनवाड 4. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय, मावली 5. नायब तहसीलदार, सहा. कलक्टर, मावली
घासा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मावली	1. तहसीलदार, घासा 2. नायब तहसीलदार, घासा
कोटडा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटडा	1. तहसीलदार, कोटडा 2. नायब तहसीलदार, उपखण्ड कार्यालय कोटडा
देवला	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटडा	1. उप तहसीलदार, मेरपुर
सुलाव	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटडा	1. नायब तहसीलदार, कोटडा

41.	सलूम्वर	सलूम्वर	उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर	1. तहसीलदार, सलूम्वर 2. नायब तहसीलदार, सलूम्वर
		झल्लारा	उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर	1. तहसीलदार, झल्लारा 2. नायब तहसीलदार, झल्लारा
		गीगला	उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर	1. तहसीलदार, सलूम्वर 2. नायब तहसीलदार, गीगला
		लसाडिया	उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया	1. तहसीलदार, लसाडिया 2. नायब तहसीलदार, लसाडिया
		सराडा	उपखण्ड अधिकारी, सराडा	1. तहसीलदार, सराडा 2. नायब तहसीलदार, सराडा
		जयसमन्द	उपखण्ड अधिकारी, सराडा	1. तहसीलदार, सराडा 2. नायब तहसीलदार, जयसमन्द
		सेमारी	उपखण्ड अधिकारी, सेमारी	1. तहसीलदार, सेमारी 2. नायब तहसीलदार, सेमारी

आज्ञा से,


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 26/12/2025

क्रमांक: एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/512-08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
7. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of Gram Panchayat: _____

Name of Panchayat Samiti: _____

Name of Zila Parishad: _____

FORMAT - A1

Please use this template to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version,1.2

1	2	3	4	5	6	7
			Voter			
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From	To	Ward No.	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

**ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश**

क्र.स.	स्टेप	विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov.in टाइप करे लॉग इन पासवर्ड डालकर लॉग इन करे
2	स्टेप-2	पंचायत समिति का चयन करना Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और पंचायत समिति का चयन कर Done बटन पर क्लिक करे
3	स्टेप-3	Add/Update/Remove ग्राम पंचायत Setup -> Add/Update/Remove Gram Panchayat फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायतों को चेक करें एवम आवश्यक हो तो नयी जोड़ें/ डिलीट करे/ अपडेट करें
4	स्टेप-4	ग्राम पंचायत का नाम निर्धारित करना Set Name for Election फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत का नाम हिंदी में दर्ज करे
5	स्टेप-5	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना Polling Station Detail फार्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे
6	स्टेप-6	ग्राम पंचायत के वार्ड निर्धारित करना Ward Create/Edit More.. फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत के वार्ड की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे कृपया वार्ड के परिसीमन के अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करे यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीऍफ़ फाइल तैयार करना		
7	स्टेप-7	Format-A1 तैयार कर अपलोड करना Draft Voter List->Upload A/A1 document फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत को चुनकर Format-A1 (पूर्व में Format-C1 अंकित था) की Excel (.CSV format) अपलोड करे Format-A1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है
8	स्टेप-8	View Draft Voter List Draft Voter List-> View Draft Voter List & Remaining Voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते हैं डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा
9	स्टेप-9	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना Draft Voter List->freeze draft ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करे
10	स्टेप-10	ग्राम पंचायत का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन Draft Voter List->Draft roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करे
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे इस समय डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा
12	स्टेप-12	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना डाउनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीऍफ़ फाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीऍफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम ने बदलाव करने पर पीडीऍफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी
13	स्टेप-13	मतदाता का Section Address सही करना अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है

**ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए
सॉफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश**

क्र.स.	स्टेप	विवरण
Supplement /Final मतदाता सूची की पीडीऍफ़ फाइल तैयार करना		
14	स्टेप-14	Format-B1 तैयार कर अपलोड करना अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B1 (पूर्व में Format-E1 अंकित था) की Excel (.CSV format) तैयार कर अपलोड करे अपलोड के पश्चात Format-B1 को process कर लेवे Format-B1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है NOTE : FORMAT-B1 में मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम संख्या होगी ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B1 में उपयोग नहीं करे
15	स्टेप-15	नए मतदाता को जोड़ना / संशोधन करना अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो Claim-Objection -> Add New Voter का फार्म ओपन कर जोड़ लेवे अगर नए मतदाता में संशोधन की जरूरत है तो Claim-Objection ->search/modify new voter का फार्म ओपन कर संशोधन कर लेवे
16	स्टेप-16	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट करना अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट की जरूरत है तो Claim-Objection ->update delete voter का फार्म ओपन कर संशोधन /डिलीट कर लेवे
17	स्टेप-17	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Forms में जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करे Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लिमेंट/फाइनल मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे
18	स्टेप-18	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना Final Voter List->freeze final roll ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करे
19	स्टेप-19	ग्राम पंचायत का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन Final Voter List->Final roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करे
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे इस समय डाउनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट में चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नहीं होगा
21	स्टेप-21	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीऍफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software में उपलब्ध अपलोड सेक्शन में जाकर पीडीऍफ़ फाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीऍफ़ फाइल का नाम वही है जो की डाउनलोड के समय था, नाम ने बदलाव करने पर पीडीऍफ़ फाइल अपलोड नहीं होगी
22	स्टेप-22	मतदाता का Section Address सही करना अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पंचायत समिति जिला

प्रमाण – पत्र

मैं , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पंचायत समिति प्रमाणित करता हूँ कि पंचायत समिति में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त वार्डों की तैयार कराई गई प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जाँच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
पंचायत समिति

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(स्थान)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद...../पंचायत समिति...../

पंचायत सर्किल

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक ...
...../पंचायत समिति /जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांककी मतदाता सूची सर्वसाधारण की
जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुड़ाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या
विद्यमान प्रविष्टियों के किसी विवरण में संशोधन करवाना चाहे तो वह इस प्रकाशन की तारीख से दिनांक.....को 3 बजे
दोपहर तक लिखित आवेदन निर्धारित प्रारूप में दावे/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
को प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीखको.....बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या ..
.....(स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय एवं पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के कार्यालय में कार्यालय समय
में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान :

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

हस्ताक्षर

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप-1 में प्राप्त आवेदनों (दावों) की सूची

[illegible]

17

मतदाता सूची में प्रविष्टियों की विशिष्टियों को सही करने के लिए प्रारूप-3 में प्राप्त आवेदनों की सूची

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.....(स्थान)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद...../पंचायत समिति...../
पंचायत सर्किल.....

एतद्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक/पंचायत समिति /जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांककी मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के उपबन्धों के अनुसार तैयार हो गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

स्थान :

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम एवं मोहर)

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2026
STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS

[illegible]

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5192

दिनांक: 30.12.2025

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 -- निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में होने है। आम चुनाव हेतु पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 01.01.2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। आम चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। पंचायत की वार्डवार मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है।

आगामी आम चुनावों हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिकस एण्ड इन्फ़ोमेटिक्स लिमिटेड (सील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र-ए-1 (परिशिष्ट-1) में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। प्रपत्र-ए-1 में प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत के वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। प्रपत्र-ए-1 की सूचना ई-सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएगी। ऐसी प्रारूप मतदाता सूचियों का संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

प्रगणकों की नियुक्ति में निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाए:-

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक पॉलिंग बूथ के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए कि उसे आवंटित बूथ के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे।
2. एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायतों के बूथ आवंटित नहीं किए जाए।
3. यथा संभव बीएलओ को ही प्रगणकों के पद पर नियुक्त किया जाए।
4. यथा संभव संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाए ताकि उसे अपने वार्ड की सीमा एवं मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो।
5. नियुक्त किए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न/संबंध नहीं हो।
6. प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश के जारी होने के 03 कार्य दिवस में पूर्ण कर लिया जाए।
7. प्रगणक के पद पर नियुक्ति योग्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 30.12.2025

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2024/5193

प्रतिलिपि समस्त ईआरओ/ईआरओ मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव